भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 527

09 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष प्रणाली को बढ़ावा देना

527. श्री मनोज कोटक:
श्री दिलीप घोष:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का चिकित्सा की आयुष प्रणाली के समग्र विकास और संवर्धन के लिए जागरुकता पैदा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आयुष को बढ़ावा देने के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत नए आयुष औषधालयों और 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना हेतु भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ख) और (ग): आयुष मंत्रालय ने जागरूकता सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं और एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना विकसित की है, जो निम्नानुसार हैं:

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं:-

i. चिकित्सा महत्व की यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना
ii. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई)
iii. आयुर्स्वास्थ्य योजना
iv. आयुर्ज्ञान योजना
v. आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना
vi. आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (आईईसी)
vii. औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

केंद्रीय प्रायोजित योजना:- राष्ट्रीय आयुष मिशन

आयुष मंत्रालय जागरूकता सहित आयुष पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

(i) आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

(ii) पीएचसी, सीएचसी और डीएच में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (जो किराए पर हैं/जीर्ण-शीर्ण आवासों में हैं) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण

(v) 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं/उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति

(vii) आयुष जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम

(viii) व्यवहार परिवर्तन संबंधी संप्रेषण (बीसीसी)

(ix) राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता

(x) आयुष ग्राम

(xi) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना करना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

(xii) आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास

(xiii) आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/स्नातकोत्तर/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार अनुदान सहायता दी जा रही है। आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक 3119.47 करोड़ रुपये की समेकित राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत जिला-वार धनराशि जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। जारी किए गए अनुदान की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** में दी गई है।

(घ) और (ङ): जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है और नए आयुष औषधालयों और 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना का क्रियान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नए आयुष औषधालयों के निर्माण के लिए 30.00 लाख रुपये और 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों के निर्माण के लिए 1500.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें राष्ट्रीय आयुष मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

*****

संलग्नक-I

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 से 2021-22 तक आवंटित और उपयोग की गई निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय।
1	सिक्किम	2779.39	2610.92
2	पुदुचेरी	1546.05	1444.27
3	जम्मू और कश्मीर	9424.33	8378.79
4	लक्षद्वीप	1273.44	1215.59
5	गोवा	1554.32	1238.27
6	गुजरात	8634.01	7140.98
7	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2080.10	2080.10
8	हरियाणा	9859.18	9260.88
9	चंडीगढ़	1343.06	1028.59
10	नागालैंड	6385.52	5861.50
11	कर्नाटक	13706.54	12458.64
12	मध्य प्रदेश	25176.60	19660.56
13	त्रिपुरा	3317.53	3041.43
14	तमिलनाडु	12142.38	10709.19
15	उत्तर प्रदेश	63247.55	59601.71
16	हिमाचल प्रदेश	7464.26	5799.89
17	अरुणाचल प्रदेश	3429.96	2967.22
18	केरल	12145.23	10731.55
19	मिजोरम	3658.25	3014.80
20	मेघालय	3256.72	2649.62
21	मणिपुर	6504.99	5075.21
22	असम	9428.15	7244.23
23	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	484.25	363.13
24	पश्चिम बंगाल	11856.33	8444.11
25	राजस्थान	23051.31	15652.28
26	उत्तराखंड	9873.85	6073.43
27	तेलंगाना	8564.06	7120.12
28	छत्तीसगढ़	8590.41	5662.02
29	दिल्ली	726.31	342.75
30	महाराष्ट्र	8439.52	3453.03
31	आंध्र प्रदेश	7578.05	2413.40
32	ओडिशा	8710.18	3480.99
33	पंजाब	5091.97	1722.41

34	झारखंड	3504.81	755.23
35	बिहार	6930.80	241.93
36	लद्दाख	187.45	25.12
	कुल	**311946.85**	**238963.88**